

## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- धोलपुर में जयपुर डिस्काम का तकनीकी सहायक तथा दलाल 6 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 15 नवम्बर, मंगलवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर धोलपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये कप्तान सिंह, हाल तकनीकी सहायक ग्रेड-द्वितीय सब स्टेशन जेवीवीएनएल जाटौली जिला धोलपुर तथा दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) दिनेश कुमार को परिवादी से 6 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की धोलपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे द्वारा प्रस्तुत विधुत कनेक्शन आवेदन पर पुराना बिजली बिल बकाया होने का भय दिखाकर एवं नया मीटर लगाने की एवज में जेवीवीएनएल जाटौली के तकनीकी सहायक कप्तान सिंह द्वारा अपने दलाल दिनेश कुमार के मार्फत 11 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के सुपरवीजन तथा एसीबी की धोलपुर इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में मय टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये कप्तान सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी वार्ड नं. 10 हाट मैदान राजाखेड़ा जिला धोलपुर, हाल तकनीकी सहायक ग्रेड-द्वितीय सब स्टेशन जेवीवीएनएल जाटौली जिला धोलपुर तथा दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) दिनेश कुमार पुत्र सोवरन निवासी वार्ड नं. 30 रुहाई मोहल्ला राजाखेड़ा जिला धोलपुर को परिवादी से 6 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपीयान द्वारा 5 हजार रुपये रिश्वत राशि दौरान सत्यापन के परिवादी से वसूल की गई थी, उक्त रिश्वत राशि भी आरोपियों के कब्जे से बरामद की गई है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी के निर्देशन में आरोपीयान के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।